

आदेश

श्रीमति मनीषा पत्नी श्री सचिन, पंच, ग्राम पंचायत ढालियावास, वार्ड नं० 08, खण्ड व जिला रेवाडी द्वारा पंच पद से दिया गया त्याग पत्र/शपथ पत्र दिनांक 18.06.2025 जो उपायुक्त, रेवाडी के सिफारिश पत्र क्रमांक 6554/पंचायत दिनांक 01.07.2025 सहित प्राप्त हुआ है, को हरियाणा पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 5 के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से स्वीकृत किया जाता है।

चण्डीगढ़, दिनांक
18-07-2025

दुष्मन्ता कुमार बैहेरा, आई०ए०एस०
महानिदेशक विकास एवं पंचायत विभाग,
हरियाणा, चण्डीगढ़।

पृ० क्रमांक ई०सी०ए००५-2025/ 33487-33

दिनांक : 22/7/25

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. राज्य चुनाव आयोग, हरियाणा, निर्वाचन सदन, प्लॉट नं० 2, सैक्टर-17, पंचकूला।
2. उपायुक्त, रेवाडी को उनके सिफारिश पत्र क्रमांक 6554/पंचायत दिनांक 01.07.2025 के संदर्भ में।
3. जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, रेवाडी।
4. खण्ड विकास एवं पंचायत अधिकारी, रेवाडी।
5. सरपंच, ग्राम पंचायत ढालियावास, खण्ड व जिला रेवाडी।
6. श्रीमति मनीषा पत्नी श्री सचिन, निवासीयान गांव ढालियावास, तहसील व जिला रेवाडी।
7. आई०टी० सैल, मुख्यालय।


अधीक्षक (चु०) 22/07/2025

कृते: महानिदेशक, विकास एवं पंचायत विभाग
हरियाणा, चण्डीगढ़।

Sh. Gorind/ Sh. Mohit